

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजरामन्द जिला राजरामन्द
(पीतासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 3-11-21
 प भू.अ.नि. दीपिका की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
 तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 11-11-10/11 तहसील रेलमगरा,
 जिला राजरामन्द की जमाबन्दी संवत् 2577 में खाता संख्या 150 में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	नारायणगंज	150	मंगी लाल पुत्र उडा तेली	मंगी लाल पुत्र उडा तेली

सहायक कलक्टर

पीतासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
रेलमगरा

दिनांक :- 23/9/25

क्रमांक:- 1/राजव/2025/11
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

सहायक कलक्टर
पीतासीन अधिकारी
(उप खण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी **रेलमगरा** सहायक कलक्टर,